न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:—अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
04 / 2022	04.02.2022	29/10/2024

आम जनता हिंदु समाज, वाके ग्राम दोंदरी जरिये:—

1. सीताराम रेगर पुत्र मोहनलाल रेगर उम्र 50 वर्ष
2. तेजमल पुत्र रामनारायण रेगर उम्र 55 वर्ष
3. रामस्वरूप पुत्र श्रवण रेगर उम्र 60 वर्ष
4. जगदीश रेगर पुत्र गोपीलाल रेगर उम्र 40 वर्ष
5. रमेश रेगर पुत्र गोपाल रेगर उम्र 35 वर्ष
6. ओमप्रकाश रेगर पुत्र पुनीराम रेगर उम्र 45 वर्ष समस्त जातियान रेगर निवासी वाके ग्राम दोंदरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. जलीस पुत्र बजीरा
2. खेरन पुत्र बजीरा
3. बसरू पुत्र बजीरा
4. रईसन पुत्री बजीरा
5. सगीरन पुत्री बजीरा
6. आबिद पुत्र सोबत
7. कल्लो पत्नी स्व0 कमरू
8. जावेद पुत्र सोबत
9. तकबीन पुत्र कमरू
10. फरियाना पुत्री कमरू
11. मतीन पुत्री कमरू
12. शाहरूख पुत्र कमरू
13. सलीम पुत्र कमरू
14. हबीब पुत्र रहमत
15. इन्सार पुत्र गुलाबा
16. सलामुद्दीन पुत्र जन्सी
17. कलाम पुत्र सोबत
18. गुलाब पत्नी सोबत
19. बशीरन पुत्री दीना
20. माफिया बानो पुत्री गफूरा
21. लियाकत पुत्री दीना समस्त जातियान गद्दी निवारी वाके ग्राम दोंदरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
22. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए आर0टी0एक्ट रास्ता दिलाये जाने बाबत

उपस्थित:—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा एड0 प्रार्थी की ओर से।

:— निर्णय —:

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता दिलाये जाने बाबतपेश किया इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वाके ग्राम दोंदरी तहसील वजिला सवाई माधोपुर के स्थायी निवासी है तथा मजदूरी पेशा एवम् काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण हिन्दू समाज का आराजी खसरा नं0 821 रकबा 0.14 है0 व ख0न0 836 रकबा 0.15 है0 भूमि किस्मगै०गु०श्मशान वाके ग्राम दोंदरी तहसील व जिला सवाई माधोपुरमें स्थित है। उक्त भूमि पर ग्राम के हिन्दू समुदाय के लोगों का देहावासन उपरान्त उनका अग्नि दाह संस्कार अपने पूर्वजों केसमय से ही किया जाता रहा है, उक्त भूमि जमाबन्दी मुताविक खाता संख्या 463 पर दर्ज है। उक्त श्मशान भूमि पर आने जानेहेतु मुताविक नक्शा शीट चाह (कुआ मौके पर रास्ता बना हुआहै तथा पूर्व में आराजी खसरा नं0 832 व 824 के मध्य से होकर833, 823, 835 व 822 के मध्य से सदैव से आते जाते रहे है तथा हिन्दू समाज के मुताविक उनका अग्नि दाह किया जाता रहा है। पूर्व में मौके पर चौडे डोल मेड थे रास्ता बना हुआ था, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि के चारो और तार फेन्सिग करदी तथा प्रार्थीगण व अन्य हिन्दू समाज के श्मशान पर आने जानेका रास्ता अवरूद्ध कर दिया। जिससे अन्तिम क्रियाकर्म के समय आम ग्रामवासियों को परेशानियों का सामान करना पडता है। प्रार्थीगण को चाही गयी भूमि खसरा नं0 824 रकबा 16 ऐयर, ख0नं0 832 रकबा 11 ऐयर, ख0नं0 823 रकबा 15ऐयर, ख0नं0 835 रकबा 0.15 ऐयर, ख0नं0 833 रकबा 11 ऐयर एवम् ख0नं0 822 रकबा 0.15 ऐयर भूमि अप्रार्थीगण 1 लगायत 21 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में आराजी खसरा नं0 832 व 824 तथा 833 व 823 एवम् ख0नं0 835 एवम् 822 के मध्य 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के श्मशान में आने जानेहेतु अति आवश्यक है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त भूमि कीऐवज में उसकी डी.एल.सी. रेट देने को तैयार है तथा मुताविक नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों के साथसंलग्न है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा251–ए आर0टी0 एक्ट के तहत पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्मशान की भूमि वाके ग्रामदोंदरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर [illegible] 836 एवम् 821 श्मशान में आने जाने हेतु 15 फीट चौडा [illegible] दिलाये जाने के आदेश पारित करराजस्व रिकॉर्ड में [illegible] दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर को फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:56:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में

Scanned with OKEN Scanner

अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड से ग्राम दोंदरी के ख0न0 821 रकबा 0.14 है0, ख0न0 836 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 रकबा 0.29 नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। निकटतम दूरी ख0न0 834, 831 की पूर्वी मेड व ख0न0 835,833,832 की पश्चिमी मेड के बीच में होकर दिया जाना उचित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड से ख0न0 834 रकबा 0.32, 831 रकबा 0.11 अब्दुल गनी हनीफ पि0 हजारी जाति गद्दी , ख0न0 835 हबीब पुत्र रहमत, ख0न0 833 बसरू जलीस पिता बजीरा, खेरन, रहिमन, सगीरन, पुत्रीया बजीरा, ख0न0 832 कलाम पुत्र शोबत व गुलाब पत्नी शोबत जाति गद्दी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 834 व 831 की पूर्व मेड के सहारे–सहारे 2 मीटर चौडा व 130 मीटर लंबाई कुल 260 वर्ग मी0, ख0न0 835 रकबा 0.15, ख0न0 833 रकबा 0.09, ख0न0 832 रकबा 0.11 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 2 मीटर चौडा रास्ता निकाला जाना अपेक्षित है। जिसमें ख0न0 835 में 20X2 मी0 अर्थात कुल 40 वर्ग मी0 ख0न0 833 में 44X2– 88 वर्ग मी0 व ख0न0 832 में 50X2 – 100 वर्ग मी0 भूमि रास्ते के लिए अपेक्षित है। आम जनता होने के कारण प्रतिकार किया जाना उचित है। आम जनता का होने से जमीन के जमीन दिया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि प्रार्थीगण हिन्दू समाज का आराजी खसरा नं0 821 रकबा 0.14 है0 व ख0न0 836 रकबा 0.15 है0 भूमि किस्मगै०मु०श्मशान वाके ग्राम दोंदरी तहसील व जिला सवाई माधोपुरमें स्थित है। उक्त भूमि पर ग्राम के हिन्दू समूदाय के लोगों का देहावासन उपरान्त उनका अग्नि दाह संस्कार अपने पूर्वजों के समय से ही किया जाता रहा है,। उक्त श्मशान भूमि पर आने जाने हेतु मुताविक नक्शा शीट चाह (कुआ मौके पर रास्ता बना हुआहै तथा पूर्व में आराजी खसरा नं0 832 व 824 के मध्य से होकर 833, 823, 835 व 822 के मध्य से सदैव से आते जाते रहे है तथा हिन्दू समाज के मुताविक उनका अग्नि दाह किया जाता रहा है। प्रार्थीगण व अन्य हिन्दू समाज के श्मशान पर आने जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया। जिससे अन्तिम क्रियाकर्म के समय आम ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भूमि में आराजी खसरा नं0 832 व 824 तथा 833 व 823 ख0न0 835 एवम् 822 के मध्य 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के श्मशान में आने जाने हेतु अति आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:56:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील प्रार्थी का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

Scanned with OKEN Scanner

धारा 251 (ए) का अवलोकन किया उक्त धारा के अनुसार " कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन विछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए प्रावधान है। किन्तु उक्त प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकरण में श्मशान के लिए जाने आने हेतु रास्ते के लिए आवदेन किया है। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) खातेदार को खातेदारी में पहुचने के लिए है। उक्त धारा उक्त प्रकरण पर लागू नही होती है। अतः प्रकरण सारहीन / तथ्यहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29/10/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:56:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner